न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 22/2021

अर्जुन पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर,तहसील जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर
उनवानी सरकार बनाम अर्जुन अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट1956
मु0न0 2ए/2019 निर्णय दिनांक 03.07.2020

उपस्थितिः–

1 श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट –––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 24.08.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.07.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम अर्जुन मु0नं0 2ए/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– खसरा नंबर 36 में अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। हल्का पटवारी ने बिना मौके की सही जांच किये व नपती किये अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की रिपोर्ट की गई है। अपीलांट खसरा नंबर 35 में आबाद है। खसरा नंबर 35 गत खसरा नंबर 99/2 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा से बना है जो रिकार्ड में गैर मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है।खसरा नंबर 35 राजकीय भूमि नहीं है, इसलिए अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती है। प्रार्थी के प्रकरण में सीमाज्ञान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.25 13:16:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

करने के बाद नोटिस जारी करना चाहिए था। सीमाज्ञान करवाये बिना अपीलांट को बेदखल नहीं किया जा सकता है। आबादी भूमि से बेदखल करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है। अदालत मातहत ने दिनांक 03.7.2020 को साईकलो स्टाईल निर्णय टाईप करवाये है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ठाये गये बिंदुओं की कोई जांच नहीं की गई है, जिन नजीरों का हवाला दिया गया है,वह अपीलार्थी के प्रकरण में लागू नहीं होती हैं। अदालत मातहत ने मौके स्थिति के विपरीत जाकर आबादी भूमि में आबाद रहते हुये अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.07. 2020 को निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि अपीलार्थी खसरा नंबर 35 में आबाद है या 36 में इस तथ्य की जांच कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– खसरा नंबर 36 में अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। हल्का पटवारी ने बिना मौके की सही जांच किये व नपती किये अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की रिपोर्ट की गई है। अपीलांट खसरा नंबर 35 में आबाद है। खसरा नंबर 35 गत खसरा नंबर 99/2 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा से बना है जो रिकार्ड में गैर मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है। खसरा नंबर 35 राजकीय भूमि नहीं है, इसलिए अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती है। प्रार्थी के प्रकरण में सीमाज्ञान करने के बाद नोटिस जारी करना चाहिए था। सीमाज्ञान करवाये बिना अपीलांट को बेदखल नहीं किया जा सकता है। आबादी भूमि से बेदखल करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है। अदालत मातहत ने दिनांक 3.7.2020 को साईकलो स्टाईल निर्णय टाईप करवाये है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ठाये गये बिंदुओं की कोई जांच नहीं की गई है, जिन नजीरों का हवाला दिया गया है,वह अपीलार्थी के प्रकरण में लागू नहीं होती हैं। अदालत मातहत ने मौके स्थिति के विपरीत जाकर आबादी भूमि में आबाद रहते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.25 13:16:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.07.2020 को निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि अपीलार्थी खसरा नंबर 35 में आबाद है या 36 में इस तथ्य की जांच कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 36 रकबा 7.67 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह में से 3080 वर्गमीटर भूमि पर अपीलांट ने झोंपडी बनाकर, गोबर डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। हल्का पटवारी ने बिना मौके की सही जांच किये व नपती किये अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की रिपोर्ट की गई है। अपीलांट खसरा नंबर 35 में आबाद है। खसरा नंबर 35 गत खसरा नंबर 99/2 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा से बना है जो रिकार्ड में गैर मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है। खसरा नंबर 35 राजकीय भूमि नहीं है, इसलिए अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती है। विवादित भूमि से सीमाज्ञान करवाये बिना अपीलांट को बेदखल नहीं किया जा सकता है। आबादी भूमि से बेदखल करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है । ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2020 उनवानी सरकार बनाम अर्जुन मु0नं0 2ए/2019 निरस्त किया जाता है । पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर मौके पर अतिक्रमण के संबंध में नपती करवाई जाकर अपीलांट को सुनवाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.25 13:16:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24-8-21

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.25 13:16:24 IST
Reason: SelfAttested